कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) कमिश्नरेट वाराणसी।
प्रेस नोट

दिनांक-28.02.2024

1-अभियुक्त विवेक कुमार पटेल पुत्र सन्तोष पटेल निवासी ग्राम समोगरा थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के द्वारा **02** माह हेतु जिला बदर किया गया। जिसका आपराधिक इतिहास निम्नवत हैं-

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	43/2023	354क(1)/376डीए भा0द0वि0 व ¾(2)/5के/6 पॉक्सो एक्ट	फूलपुर

2-**अभियुक्त सिम्पल पुत्र राजेश वर्मा निवासी ग्राम समोगरा थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष** अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के द्वारा 0**2** माह हेतु जिला बदर किया गया। जिसका आपराधिक इतिहास निम्नवत हैं-

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	43/2023	354क(1)/376डीए भा0द0वि0 व ¾(2)/5के/6 पॉक्सो एक्ट	फूलपुर

3-**अभियुक्त शैलेश कुमार वर्मा उर्फ डिम्पल पुत्र राजेश वर्मा निवासी ग्राम समोगरा थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष** अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के द्वारा 0**2** माह हेतु जिला बदर किया गया। जिसका आपराधिक इतिहास निम्नवत हैं-

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	43/2023	354क(1)/376डीए भा0द0वि0 व ¾(2)/5के/6 पॉक्सो एक्ट	फूलपुर

सोशल मीडिया सेल
अपर पुलिस आयुक्त
कमिश्नरेट वाराणसी